सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
कार्पिनियस मार्ग फरीदकोट
नई दिल्ली पिन –110011

विषय – **A/O NO- 521/2022** सम्पूर्णा नन्द बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के सम्बंध में संयुक्त जॉच टीम द्वारा सौपे गये रिर्पोट के सम्बंध में–

महोदय्–

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा यह सिकायत किया गया था कि जनपद–मिर्जापुर उ0प्र0 थाना अहरौरा के अन्तर्गत आने वाले **गॉवों भगौती देई, सोनपुर, चकजाता व बियाहुर** में, अवैध ब्लास्टिंग अवैध खनन व अवैध रूप से केशरो का संचालन हो रहा है जिससे **मानव जीवन के साथ ही तमाम पेड़–पौधे व पशु–पक्षियों के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है** जिसे बंद कराते हुए दोषियों के खिलाफ विधिक कार्यवही करने का आग्रह किया गया था।**देखें संलग्नक संख्या–1** जिसे गम्भीरता से लेते हुए माननीय अधिकरण ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक **01/09/2022** को A/O NO- 521/2022 के रूप में स्वीकार करते हुए एक संयुक्त जॉच टीम को मौके पर आकर स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट सौपने के लिए निर्देशित किया जिसे क्षेत्रिय प्रदूषण अधिकारीयों, जनपद के खनन अधिकारीयों व कर्मचारीयों द्वारा 3 बार निरीक्षण की तिथि को बदला गया फिर प्रार्थी के सिकायत पर माननीय अधिकरण के निर्देश पर दिनांक **23/11/2022 व 24/11/2022** को जॉच टीम द्वारा उक्त गावों में पड़ने वाले खनन पट्टो व केशर प्लांटों का निरीक्षण किया गया **देखें संलग्नक संख्या –2** । दिनांक 03/02/2023 संयुक्त जॉच टीम द्वारा जॉच रिपोर्ट माननीय अधिकरण को भेजा गया जो कुल 88 पेजों का है, जिसमें **कुल 40 खनन पट्टों व 26 स्टोन केशर प्लांटों का जिक किया गया है इनमें से 39 खनन पट्टों पर जूर्माना लगाने हेतु संयुक्त जॉच टीम द्वारा संसतुति की गई है** जिसमें सम्भावित जूर्माने की राशि भी सम्बंधित खनन पट्टों के लिए अलग–अलग निर्धारित किया गया है। जबकि जिन 26 स्टोन केशर प्लांटों का रिपोर्ट में जिक किया गया है उनके उपर किसी तरह कि कार्यवाही या जूर्माने की बात नहीं लिखी गई है जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषण स्टोन केशर प्लांटों से ही हो रहा है। **संयुक्त जॉच टीम ने भी माना है कि क्षेत्र में संचालित अधिकतर स्टोंग केशर प्लांट नियमों के विरुद्ध चलाएं जा रहे हैं इनके द्वारा पानी का छिड़काव या प्रदूषण रोकने की कोई व्यवस्था नहीं कि गई है,हरित पट्टीका विकसीत नहीं किया गया है इनके द्वारा इतना ज्याता प्रदूषण फैलाया गया है कि गॉवों में लगें पौधों के पत्ते तक सफेद दिख रहे हैं देखें संलग्न– 3** । दिनांक 06/03/2023 को प्रार्थी द्वारा क्षेत्र में चल रहे स्टोन केशर प्लांटो की सूचि सहायक जन सूचना अधिकारी

कार्यालय क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी सोनभद्र उ0प्र0 से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगा तो सूचि उपलब्ध नहीं कराई गई तथा रिपोर्ट में दिए गए केशर प्लांटों के अलावॉ क्षेत्र में कई और स्टोन केशर प्लांट संचालित हो रहे हैं। देखें संलग्न– 4 व 5 ।

श्रीमान् जी संयुक्त जॉच टीम द्वारा निरीक्षण के समय देखा गया कि क्षेत्र में अवैध खनन हुआ है जिसका कोई पेपर नहीं है, जिनके खनन पट्टे हैं वो भी मानक विपरीत काम कर रहे हैं जो अभी भी विना रोक टोक धड़ल्ले से चल रहा है जिसे अभी तक रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया है नहीं अवैध खनन माफीयाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, ना ही रिपोर्ट में ही इनके विरूद्ध किसी कार्यवही की बात कही गई है। महोदय इसमें सबसे गम्भीर बात यह है कि संयुक्त जॉच टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि लगभग सभी खनन पट्टे मात्र (एक को छोड़कर) सभी नियम विरूद्ध कार्य कर रहें हैं, सिमांकन बोर्ड नहीं है बाउण्ड्री बाल नहीं है तार से भी नहीं घेरा गया है 100–150 फीट तक सिधा खनन किया गया है यहॉ तक कि रोड से सटे खनन पट्टों का भी यही हाल है । भारी ब्लास्टिंग किया जा रहा है जो नियम विरूद्ध है कम्पन कितना हो रहा है ब्लास्टिंग के समय उसका रिडींग यंत्र किसी के पास नहीं है जिसका एक मात्र कारण है बहुत तिव्र होने वाले कम्पन को दिखाने से बचना, स्टोन केशर प्लांटों के निरीक्षण में भी पाया गया कि कोई स्टोन केशर प्लांट नियमों के अनूरूप नहीं चलाया जा रहा है, देंखें संलग्न –6, सभी स्टोन केशरो का संचालन नियम विरूद्ध व अवैध है फिर भी किसी को बंद करने की संस्तुति नहीं किया गया है जबकि अवैध व नियम विरूद्ध संचालित सभी खनन पट्टों स्टोन केशर प्लांटों का संचालन तत्काल बंद होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी,खान अधिकारी,सम्बधित विभागों के कर्मचारीयों व खनन माफियाओं के मिलिभगत से ही सभी अवैध खनन व केशर संचालित हो रहा है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि जितने भी केशर व खनन पट्टे नियम विरूद्ध कार्य कर रहे हैं उनको तत्काल बंद करवाने के साथ ही अतिसिघ्र जूर्माना वसूलि किया जाए तथा इसमें संलिप्त अधिकारीयों, कर्मचारीयों से भी जूर्माना वसूल करते हुए पर्यावरण क्षति की पूर्ति करने के लिए ठोस कदम उठाने के दिशा निर्देश जारि करने का कष्ट करें न्याय होगा।

प्रार्थी

Sampurnanand

दिनांक– 18/04/2023

सम्पूर्णा नन्द 18/4/2023

ग्रा0– भगौती देई, पो0–पटिहटा चुनार

जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 पिन–231304

मो0 9450936703

15110-19 19/04/2022

सेवा में–

श्रीमान् माननीय अध्यक्ष महोदय्
राष्टीय हरित न्यायधिकरण नई दिल्ली भारत

विषय– मौजा सोनपुर, भगौती देई,बियाहुर व चकजाता प[illegible] तहसील चुनार थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर उ0प्र0 कि पहाड़ियों में विना वैध पट्टा व विना वैध ब्लास्टिंग लाइसेंस के धड़ल्ले से खनन माफियाओं द्वारा खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग करके अरबों रूपये का राजस्व चोरी करके बोल्डर, पटिया, गिट्टी, मोड आदि निकालकर पर्यावरण को दूषित किये जाने व हम ग्रामवासियों का जीना दुर्भर किये जाने के सम्बंध में–

प्रार्थना पत्र द्वारा – सम्पूर्णा नन्द पुत्र श्री कल्लू राम एवं समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी ग्राम सभा भगौती देई,सौनपुर, बियाहुर व चक जाता परगना भगवत थाना अहरौरा तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर उ0प्र0

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि जिला उपरोक्त मौजा कि पहाड़ियों पर अवैध खनन कर्ताओं द्वारा विना वैध परमिट व पट्टा के विना वैध ब्लास्टिंग लाइसेंस के रात दिन मनमाना तरिके से अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। अवैध कार्य करने से दिन में भी पुरे क्षेत्र में धुंघ व अंधेरा छाया रहता है और मे धुल का गुब्बार व कचड़ा उड़ने से हम समस्त ग्रामवासियों का व उनके परिवारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है साथ ही पहाड़ों पर अत्यधिक गहरा व भारी मात्रा में ब्लास्टिंग किया जाता है जिससे पुरे क्षेत्र में भूकम्प जैसा महसूस होता है और पुरा क्षेत्र हीलने लगता है लिसके कारण उपरोक्त गाँवों के अधिकांश घरों के छतों में व दिवालों में दरारे आ गए हैं जिसमें सैकड़ो घर जर्जर हो गए हैं जिसके कारण किसी बड़े दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ।

इसकी सिकायत स्थानिय स्तर पर कई बार किया गया जा चुका है लेकिन खनन माफियाओं के प्रभाव में स्थानिय पुलिस प्रशासन व खनन विभाग तथा क्षेत्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी व अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर कोई कार्यवाही नही करते है। जिससे खनन माफियाओं का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दिन में ही ब्लास्टिंग करने से कई बार कई लोंगो की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल भी हो चुके हैं जिसके खिलाफ स्थानिय लोंगों ने कई बार सिकायत, धरना प्रदर्शन किया गया लेकिन अवैध खनन व अवैध ब्लास्टिंग पर अब तक रोक नही लगाई गयी । अवैध खनन करके खनन माफियाओं द्वारा अरवो रूपये का राजस्व चोरी करके सरकारी खजानो पर चूना लगाया जा चुका है। अवैध खनन के वजह से ही पुरे क्षेत्र प्रदूषण विकराल रूप में बढ़ता जा रहा है । जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है लिहाजा ऐसी परिस्थिति में श्रीमान जी द्वारा अपने स्तर से

केन्द्रीय टीम से मौके कि जॉच कराकर दोषी व्यपारीयों के व अधिकारीयों के खिलाफ कठोर से कठोर कड़ी कार्यवाही किया जाय जो सही व न्यायदार है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण में गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अपने हुए अपने स्तर से केन्द्रीय टीम के द्वारा मौके नर जॉच कराये जाने व दोषी व्यपारीयों व अधिकारीयों के खिलाफ कठोर–कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने की अत्र फरमाइ जावे ,न्याय होगी

प्रार्थी Sampurnanand
सम्पूर्ण नन्द
19/4/2022

Annexue No. A

दिनांक–01.09.2022 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 521/2022, सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में नामित सदस्यों की वीडियों कान्फ्रेंसिंग से हुई बैठक की कार्यवृत्त।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 नं0 **521/2022, सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** मे पारित आदेश दिनांक–01.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ दिनांक–**15.11.2022** को अपराह्न 03:30 बजे वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें योजित याचिका में उठाये गये बिन्दुओं तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के आलोक में चर्चा की गयी। उक्त चर्चा मे यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में सम्बंधित विभाग के नामित प्रतिनिधियों को स्थलीय निरीक्षण करने एवं स्थलीय निरीक्षण में पाये गये तथ्यों के आधार पर आख्या तैयार कर मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित किया जाना है, जिसको अग्रिम तिथि दिनांक–25.11.2022 के पूर्व प्रेषित करने के निर्देश है। पूर्व में नोडल अधिकारी द्वारा समस्त सदस्यों से दूरभाष पर वार्ता के अनुरूप दिनांक–21.10.2022 को स्थलीय निरीक्षण हेतु उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था तथा उक्त के उपरान्त दिनांक–09.11.2022 से 11.11.2022 को किये जाने हेतु नियत की गयी थी, उक्त स्थलीय निरीक्षण जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गया पुनः दिनांक–16.11.2022 से दिनांक–18.11.2022 नियत की गयी थी वह भी किन्ही कारणों से संपादित नहीं हो पायी।

उपरोक्त के आलोक में अग्रिम स्थलीय निरीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण में विचारणीय बिन्दुओं पर चर्चा किये जाने हेतु वीडियों कान्फ्रेसिंग का आयोजन किया गया था, जिसके उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अग्रिम निरीक्षण दिनांक–23.11.2022, 24.11.2022 एवं 25.11.2022 को सभी सदस्य स्थलीय निरीक्षण हेतु उपस्थित रहेगे तथा निरीक्षण के बिन्दुओं पर आवश्यक डाक्यूमेंट के अनुरूप खनन पट्टो का निरीक्षण संपादित करते हुए आख्या यथाशीघ्र मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित कर दी जाये, जिससे कि अनावश्यक विलम्ब न हो।

जिला खनन अधिकारी, मिर्जापुर को उपरोक्त निरीक्षण में खनन पट्टो का माइनिंग प्लान, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति, लीज डीड, खनन पट्टों का संचालन दिनांक एवं प्रत्येक खनन पट्टे का जिओ को–आर्डिनेट्स एवं पिलर की स्थिति के सम्बंध में आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला खनन अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा आश्वासन दिया गया कि निरीक्षण के समय आवश्यक समस्त पत्रों के साथ खनन स्थल पर उपस्थित रहेगें।

जिला खनन अधिकारी, मिर्जापुर को यह भी निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत याचिका में याचिका कर्ता श्री सम्पूर्णानन्द एवं पट्टाधारको को भी निरीक्षण में उपस्थित रहने हेतु सुचना अपने स्तर से अग्रसारित करा दे। जिससे कि निरीक्षण के समय खनन पट्टे के संचालन के सम्बंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

श्री सम्पूर्णानन्द याचिका कर्ता को उनके दूरभाष नं0 पर व्हाट्सएप मैसेज प्रेषित कर दिया गया है तथा स्थल निरीक्षण के पूर्व दूरभाष पर सूचना दे दी जायेगी।

अंत में विडियों कान्फ्रेसिंग का इस आशय के साथ समाप्ति की घोषणा की गयी कि निर्धारित निरीक्षण तिथि **23.11.2022 से 25.11.2022** तक स्थलीय निरीक्षण संपादित करते हुए अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को यथाशीघ्र प्रेषित की जायेगी।

18/11/2022

(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्न संख्या - 2

16	MIRZAPUR	M/S GANGA SAGAR SINGH STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR.	Issued	31.07.2025
17	MIRZAPUR	M/S MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS, BHAGAUTIDEI, CHUNAR	Closure order issued by the Board	
18	MIRZAPUR	M/S RAJESH BHAI PATEL, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	Issued	31.07.2026
19	MIRZAPUR	M/S RAJU STONE PRODUCT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	CTO Expired	
20	MIRZAPUR	M/S RAUF KHAN, BHAGAUTI DEI, CHUNAR MIRZAPUR	Issued	31.07.2026
21	MIRZAPUR	M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	Issued	31.07.2026
22	MIRZAPUR	M/s RIYA ENTERPRISES, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	Issued	31.7.2026
23	MIRZAPUR	M/s NEW ASHATBHUJA STONE BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	Issued	31.07.2026
24	MIRZAPUR	M/s SHRI BAJARANG STONE BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	Issued	31.07.2026
25	MIRZAPUR	M/s JAY MAA DURGAMIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	Issued	31.07.2025
26	MIRZAPUR	M/S RAJESH BHAI PATEL, UNIT-02, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR, MIRZAPUR	Issued	31.07.2026

3.2 Committee observes that maximum Stone Crushers are not sprinkling water in the Stone Crusher unit as well as on the connecting roads. However they have installed Air Pollution Control Devices as per CPCB Guidelines but due to non-operational status of Sprinkling System and less plantation around the periphery of Stone Crusher is causing serious threat on health aspects of resident of the area concerned.

3.3 It is in the interest of the residents of the area that, the Stone Crushers may be inspected by a Joint Committee comprising of State PCB, Mining Department, concerened SDMs and Police. AS per facts found by the committee, Action should be taken against the Stone Crushers under the provision of Air(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

4.0 Other observations:-

4.1 Committee observed that the almost all mines are operating in nature, without obtaining consent to operate (CTO) from the Pollution Control Board (UPPCB).

4.2 Whereas, number of crusher unit found operative in same area (sometime with name of same lease) with valid Consent to Operate (CTO) issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board(UPPCB).

4.3 All trees leaf lies on road are found full of dust, which clearly indicated that the mining and Crushing plant in the area generating heavy dust load, may also causes severe threat the local habitant.

4.4 It has also come to noticed that various village kachha road (10 to 15 meters) is being used for the mineral transportation during night time.

4.5 None of the mine conducted/submitted blast vibration study to concern department.

4.6 Most of the pits created by lease are very sharp in nature.

संलग्न - संख्या - 2

संलग्नक संख्या- 4 153

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

प्रेषित,

सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यालय – क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राबर्ट्सगंज सोनभद्र उ0प्र0

1– आवेदक का पुरा नाम– सम्पूर्णा नन्द

2– आवेदक का पुरा पता–ग्रा0– भगौती देई, पो0– पटिहटा, त0– चुनार, थाना – अहरौरा जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 पिन – 231304

3– सूचना की विशिष्टियां–

विभाग कार्यालय का नाम जिससे सूचना सम्बंधित है – क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0

चाही गई सूचना की प्रकृति– लिखित

चाही गई सूचना का विवरण–

1– ग्राम– भगौती देई, सोनपुर, एकली, ढ़बही, व मौजा चकजाता थाना अहरौरा परगना भगवत के अन्तर्गत आने वाले पहाड़ों पर कितने पट्टों को ब्लास्टिंग के लिए एनओसी दिया गया है उनका विवरण खनन पट्टा धारक के नाम,पता, आराजी नम्बर, क्षेत्रफल व चारो पिलरों के जीपीएस लोकेशन के साथ देने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त गांवों में कितने स्टोन क्रेशर, कटर प्लांट संचालित हो रहे हैं और कितने स्टोन क्रेशर, कटर प्लांटों को दिनांक– 24/09/2022 तक एनओसी जारी किया गया था सभी संचालको का नाम पता व संचालित इकाई के भूमि की आराजी संख्या, क्षेत्रफल व जीपीएस लोकेशन देने का कष्ट करें।

3– स्टोन क्रेशर प्लांटों को संचालित करने के लिए जो मानक निर्धारित किया गया है उस शासनादेश की प्रमाणित छायाप्रति देने का कष्ट करें, एनओसी लेते समय कितने स्टोन क्रेशर प्लांटों में मानकों को पुरा किया गया था । और अब कितने क्रेशर प्लांट में मानक शर्तो को पुरा किया जा रहा है।

4–कितने स्टोन क्रेशर व कटर प्लांटों पर हरित पट्टीका विकशित किया गया है कितने प्लांटों की दूरी सड़क, बस्ती व स्कूल की दूरी निर्धारित मानक के अनुरुप नहीं है। सभी की विस्तृत आख्या की प्रमाणित छाया प्रति देने का कष्ट करें ।

संलग्नक–

आवेदन शूल्क रु0 10 मूल्य का एक पोस्टल आर्डर संख्या– 56एफ 260631

नोट– सूचना देने हेतु अगर और धन राशि की आवश्यकता होती है तो कृपया बताने का कष्ट करें प्रार्थी उसे देने हेतु तैयार है ।

Sampurnanand 8/2/23

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक– 08/02/2023

सम्पूर्णा नन्द

मो0नं0– 9450936703

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RU498059851IN IVR:0285498059851
RL AHRAURA SO <231301>
Counter No:1,08/02/2023,13:09
To:SAHAYAK JAN S,ROBERTSGANJ
PIN:231216, Robertsganj HO
From:SAMPURNA NAND ,BHAGAUTIDEI
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

संलग्नक संख्या-5

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

प्रेषित,

सहायक जनसूचना अधिकारी कार्यालय – खनिज कर्म (पाषण) विभाग मिर्जापुर उ0प्र0

1– आवेदक का पुरा नाम– सम्पूर्णा नन्द

2– आवेदक का पुरा पता–ग्रा0– भगौती देई, पो0– पटिहटा, त0– चुनार, थाना – अहरौरा जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 पिन – 231304

3– सूचना की विशिष्टियां–

विभाग कार्यालय का नाम जिससे सूचना सम्बंधित है – पाषाण विभाग मिर्जापुर उ0प्र0

चाही गई सूचना की प्रकृति– लिखित

चाही गई सूचना का विवरण–

1– ग्राम– भगौती देई, सोनपुर, एकली, ढबही, व मौजा चकजाता थाना अहरौरा परगना भगवत के अन्तर्गत आने वाले पहाड़ों पर जितने खनन पट्टों का आवंटन किया गया है उनका विवरण खनन पट्टा धारक के नाम,पता, आराजी नम्बर, क्षेत्रफल व चारो पिलरों के जीपीएस लोकेशन के साथ देने का कष्ट करें।

2– खनन पट्टों के खदानों से कितनी गहराई तक खनन कार्य करने का प्रावधान है खनन कार्य से हुए गड्ढों को भरने का प्रावधान हो तो उसका विवरण देने का कष्ट करें।

3–उपरोक्त गांवों के किन–किन खनन पट्टों पर खनन के लिए विस्फोटक के जरीए ब्लास्टिंग किया जाता है सभी कि विस्तृत आख्या की प्रमाणित छाया प्रति देने का कष्ट करें ।

4– खनन पट्टों पर ब्लास्टिंग के जरीए खनन कार्य करने के लिए नियमावली की प्रमाणित छाया प्रति देने का कष्ट करें ।

5– ब्लास्टिंग के जरीए खनन कार्य करने के लिए कितने पट्टा धारकों द्वारा एनओसी और लाइसेंस लिया गया है सभी का नाम व खनन पट्टे का आराजी संख्या के साथ विस्तृत आख्या देने का कष्ट करें।

संलग्नक–

आवेदन शूल्क रु0 10 मूल्य का एक पोस्टल आर्डर संख्या– 56एफ 260644

नोट– सूचना देने हेतु अगर और धन राशि की आवश्यकता होती है तो कृपया बताने का कष्ट करें प्रार्थी उसे देने हेतु तैयार है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

Sampurnand

सम्पूर्णा नन्द 08/02/2023

मो0नं0– 9450936703

दिनांक– 08/02/2023

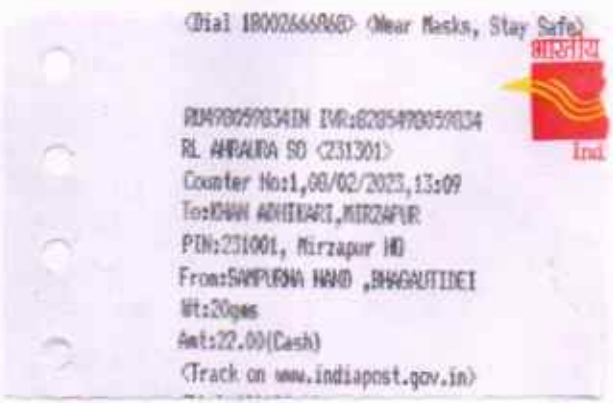

संलग्नक-संख्या-5

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 पदूषण नियंत्रण बोर्ड
सोनभद्र

संदर्भ सं0 जी000176/ओ0जी0–23/2023 /Vol-14 दिनांक–06.03.2023

सेवा मे,

श्री सम्पूर्णा नन्द,
ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा,
तह0 चुनार, थाना–अहरौरा, जनपद–मीरजापुर।
मो0नं0–9450936703

विशयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र संख्या–शून्य, दिनांक–08.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहे, जिस पर सूचना शुल्क के रूप में रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–56एफ 260630 संलग्न किया जाना अंकित है। उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

बिन्दु सं0 1– कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग के नाम से अभिलेख/पत्रावलियां इस कार्यालय में संरक्षित हैं।
बिन्दु सं0 2– विन्दु संख्या–1 के अनुसार।

उपरोक्तानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित आपका आवेदन–पत्र दिनांक 08.02.2023 निस्तारित किया जाता है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से क्षुब्ध हैं तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पदनाम, पता और दूरभाष संख्या निम्नवत् हैः–

डॉ0 एस0सी0 शुक्ला,
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।
दूरभाष संख्या–7839891967

भवदीय,
06/03/2023
जनसूचना अधिकारी

संलग्नक–संख्या - 6

4.7 All most all mines are using 50 meter safety zone area under mining activity.

4.8 Few water tanker were seen which are sprinkling the water on unpaved kachha road but haul road was not being sprinkled in maximum mining leases.

4.9 There should be a better coordination between Local administration, Mines operator and Local dwellers for washing of the nearby tress on regular basis and spraying of water the road for controlling of secondary emission.

4.10 It has been found that the few mining leases are located around 500-600 meter to Jargo Dam only, which hold around 3 lakks cusec water and only source to irrigate around 1000 acres' agricultural land in the area, received almost daily blasting sensation (Google Earth image is attached as Annexure E).

4.11 That the few mining leass are situated adjacent to the Jargo Dam, also for the mining purposes blasting being done near human habitation (abadi) by the mining proponent which are contrary to Clause 13 of General Condition of EC which says that "special measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities."

4.12 In the complaint of Shri Sampurna Nand, it has been mentioned that the nearby houses is being affected by the blasting in the mining leases but the Committee observed that there was no visible cracks on the walls and roofs of the nearby houses.

5.0 Committee Recommendation:-

5.1 Out of 40 leases, few leases were found operational approx 500 to 600 meter, close to exiting jargo dam (constructed in 1958, hold 3 lakks cusec water and only source to irrigate around 1000 acres' agricultural land), need to be re-evaluated in light of continuous blasting activity in area.

5.2 State mining department have to obtained "No Objection Certificate" from state irrigation department before grant of lease near Jargo Dam.

5.3 State Government shall constitute expert committee (Dam expert, Blasting expert etc)to assess the impact of mining and blasting activity (Blasting impact study) on the Jargo Dam and its stability, based on the finding state government may declare buffer zone, where mining etc will be completely prohibited.

5.4 Strict monitoring system can be developed including uses of drone survey etc for better compliance.

5.5 DGPS Surveyagencies are not empaneled by UP-DGM, it is required to empaneled with UP-DGM.

5.6 Capacity Building of the State DGM is required for approval of mining plan documents and subsequently its monitoring.

5.7 Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) can also review the process for granting of CTO to mining lease and its crusher plant, to avoid such confusion, where mining lease operated mine without having valid CTO, whereas, associated crusher operated plant crusher with valid CTO.

5.8 Committee observed that the time of blasting for all mines are same i.e., around 2 PM, which may be rescheduled in light of local school timing, number of primary and middle schools are lies near the mining area.

5.9 The amount collected with environmental compensation be recovered from the concerned lease holder may be used for construction of the Cemented internal road, which is used for mineral transportation, road side plantation, mist gun used for water spraying, establishment of continuous online ambient air quality monitoring station, setting of noise barrier in densely populated area, school, hospital in the area.

5.10 Rate of financial assurance needs to enhanced for undertaking reclamation & rehabilitation activities against the area put to use for mining & allied activities per hectare.